रजिस्ट्री सं०-डी एल-33001/93

REGISTERED No. DL-33001/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 41] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 9, 1993 (अश्विन 17, 1915)
No. 41] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 9, 1993 (ASVINA 17, 1915)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	749
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	1033
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	5
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	1835
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिसमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों जिनमें (सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	947
भाग III—खण्ड 2—पेटेन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	845
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	15903
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	143
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला अनुपूरक	*

*कोई प्राप्त नहीं।

1—271 GI/93

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court.	749
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1033
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence .	5
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1835
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .	
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii) Authoritative texts in Hindi (other than such texts, Published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence .	
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	947
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	845
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	15903
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies .	143
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	

*Folio Nos. not received

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

महासागर विकास विभाग

नई दिल्ली—110003, दिनांक 1 सितम्बर 1993

संकल्प

सं० मविवि/16-टी० ई/16/92—भारत ने राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने का निश्चय किया है, जिसे समुद्र क्षेत्र से सम्बन्धित प्रौद्योगिकी विकास की परियोजनाओं को शुरू करने के लिए भारत सरकार की स्वायत्त पंजीकृत सोसायटी के रूप में एन० आई० ओ० टी० के नाम से जाना जाएगा । एन० आई० ओ० टी० महासागर विकास विभाग (मविवि) के प्रशासनिक नियंत्रण में होगा तथा महासागर विकास विभाग द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा, उन क्षेत्रों में आवश्यक प्रौद्योगिकी निवेश सुलभ कराएगा । एन० आई० ओ० टी० निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों से परामर्श सेवाएं भी स्वीकार करेगा तथा आन्तरिक संसाधन भी जुटाएगा । एन० आई० ओ० टी० का पंजीकृत कार्यालय भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास—600036 में होगा ।

2. संस्थान के मुख्य उद्देश्य हैं :—

(क) समुद्री ऊर्जा समुद्रसंस्तर खनन इत्यादि जैसे समुद्र प्रौद्योगिकी के विशिष्ट क्षेत्रों में समर्थता एवं तकनीकी जानकारी विकसित करने के लिए समुद्र विज्ञान में अनुसंधान के माध्यम से प्राप्त अनुभव एवं ज्ञान का उपयोग करना ।

(ख) अन्तरजल साधन, अवलोकन प्लेटफार्म, आकड़ा प्लवों इत्यादि जैसी उपयुक्त समुद्र इंजीनियरिंग तथा यंत्रीकरण प्रणाली के विकास में समुद्र वैज्ञानिकों को सहायता/सहयोग करना ।

(ग) देश के द्वीपों एवं तटीय क्षेत्र के व्यापक एवं सतत विकास के लिए तटीय क्षेत्र प्रबन्ध की तेजी से बढ़ती हुई संकल्पना के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी विकसित करना ।

*(घ) महासागर विकास विभाग द्वारा प्रारम्भ की गई समुद्र प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित कोई अन्य उद्देश्य ।

3. सोसायटी का प्रशासन एवं प्रबन्ध, संचालन परिषद में सन्निहित होगा । संचालन परिषद का संघटन निम्नलिखित होगा, नामत:

1. सचिव, महासागर विकास विभाग, महासागर भवन, ब्लाक—12, केन्द्रीय कार्यालय परिसर, लोदी रोड, नई दिल्ली—110003	अध्यक्ष
2. निदेशक, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास—600036	सह-अध्यक्ष
3. प्रो० वी० एस० राजू, समुद्र इंजीनियरिंग केन्द्र में प्रोफेसर तथा आई० सी० एवं एस० आर० सी० डीन, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास—600036	सदस्य
4. डॉ० एस० के० जोशी, महानिदेशक वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, रफी मार्ग, नई दिल्ली—110001	सदस्य
5. श्री पी० के० रुद्र, प्रबन्ध निदेशक, इंजीनियर्स, इंडिया लिमिटेड, 1, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली	सदस्य
6. डॉ० पी० पी० वैद्यरामन निदेशक, केन्द्रीय जल एवं ऊर्जा अनुसंधान स्टेशन, पी० ओ० खड़कवासला अनुसंधान स्टेशन, पुणे—411024	सदस्य
7. प्रो० एम० रवीन्द्रन, समुद्र इंजीनियरिंग केन्द्र में प्रोफेसर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास—600036	सदस्य-सचिव

4. सोसायटी का सदस्य सचिव परिषद का पदेन सदस्य सचिव होगा ।

5. संचालन परिषद, सोसायटी के तकनीकी मामलों के प्रबन्ध के लिए तकनीकी परामर्श समिति से सहयोग प्राप्त करेगा। इस समिति का गठन यथासमय कर दिया जाएगा।

6. योजना कार्यक्रम के एक भाग के रूप में महासागर विकास विभाग संस्थान की वित्तीय आवश्यकताओं को वहन करेगी। हालांकि संस्थान को अपने क्रियाकलापों के लिए अन्य सरकारी तथा गैर-सरकारी स्रोतों से फण्ड प्राप्त करने के लिए अधिकार प्राप्त है।

7. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास प्रारम्भिक चरण में एन० आई० ओ० टी० के समायोजन के लिए सुविधाएं मुहैया कराएगा एवं एन० आई० ओ० टी० के कार्यक्रमों के लिए उपकरणों तथा आवश्यक अन्य अवरसंरचना भी उपलब्ध कराएगा। महासागर विकास विभाग तथा एन० आई० ओ० टी० के बीच एक विस्तृत समझौता ज्ञापन यथासमय जारी किया जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए। यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों तथा सभी अन्य संबंधित को सूचित किया जाये।

जे० वी० आर० प्रसाद
संयुक्त सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 1 सितम्बर 1993

संकल्प

सं० एफ० ए०-11019/2/82-प्रशा०-I (ए)—भारत सरकार ने तत्काल प्रभाव से "प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान मूल्यांकन परिषद" का पुनर्गठन करने का निर्णय किया है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:—

1. अध्यक्ष

(अंशकालिक)

डा० ए० पी० जे० अब्दुल कलाम

(वर्तमान में रक्षा वैज्ञानिक

सलाहकार तथा सचिव, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग)

पदेन सदस्य

2 सचिव
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

3. महानिदेशक,
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद

4. सचिव,
परमाणु ऊर्जा विभाग

5 सचिव
अन्तरिक्ष विभाग

6. सचिव,
इलैक्ट्रोनिकी विभाग

7. सचिव,
रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग

8. सचिव
औद्योगिक विकास विभाग

9. सचिव,
वाणिज्य विभाग

1. सचिव,
योजना विभाग

11. सचिव,
व्यय विभाग

12. अध्यक्ष,
भारतीय औद्योगिक परिसंघ (सी० आई० आई०)
नई दिल्ली

13. अध्यक्ष,
एसोसिएटिड चैम्बर आफ कामर्स (एसाचेम),
नई दिल्ली

14. अध्यक्ष,
फेडरेशन आफ इंडियन चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री आफ इंडिया (फिक्की),
नई दिल्ली

15. अध्यक्ष,
भारत औद्योगिक विकास बैंक,
बम्बई

16. अध्यक्ष,
इंडस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया
बम्बई

17. अध्यक्ष,
इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन आफ इंडिया
नई दिल्ली

18. अध्यक्ष,
नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन,
नई दिल्ली

19. अध्यक्ष,
कोल इंडिया लिमिटिड,
कलकत्ता

20. अध्यक्ष,
तेल और प्राकृतिक गैस आयोग,
देहरादून

21. प्रबन्ध निदेशक,
नेशनल रिसर्च डेवलपमेन्ट कारपोरेशन,
नई दिल्ली

22. प्रबन्ध निदेशक,
बायो-टैक्नोलाजी एकसोर्टियम इंडिया
नई दिल्ली

सदस्य का नाम	वर्तमान पता
23. प्रो० एम० आनंदकृष्णन	कुलपति, अन्ना विश्वविद्यालय गिन्डी मद्रास—600025
24. श्री राहुल बजाज	अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, बजाज आटो लिमिटेड, अकुर्दी पुणे-411035
25. श्री सी० के बिड़ला	उपाध्यक्ष, हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड प्रकाशदीप बिल्डिंग 7, टॉलस्टाय मार्ग, नई दिल्ली—110001
26. डॉ० बी० बोवोंदर	निदेशक सेन्टर फार एनर्जी एण्ड एनवायरनमेंट टैक्नोलाजी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आफ़ इंडिया, बेला विस्ता हैदराबाद—500049
27. डा० एस० गांगुली	एक्सक्यूटिव वाइस चांसलर एण्ड मैनेजिंग डायरेक्टर, ए० सी० सी० लिमि०-टेड हाऊस, 121 महर्षि कर्वे रोड, बम्बई—400020
28. प्रो० (श्रीमती) कुंतला जयरामन	निदेशक, सैन्टर फार बायोटेक्नोलॉजी अन्ना यूनिवर्सिट गिन्डी मद्रास—600025

सदस्य का नाम	वर्तमान पता
29. श्री लवराज कुमार	अध्यक्ष, सोसायटी फार वेस्टलैंड डवलपमेंट 1, कापरनिक्स मार्ग, श्रीराम भारतीय कलाकेन्द्र, बिल्डिंग दूसरा तल, मंडी हाऊस नई दिल्ली—110001
30. डा० आर० ए० मशेलकर	निदेशक नेशनल कैमिकल लैबोरेट्री पुणे—400008
31. प्रो० आर० नरसिंह	आई० एन० एस० ए० गोल्डन जुबली रिसर्च प्रोफ़ेसर डिपार्टमेंट आफ़ एरोस्पेस इंजिनियरिंग इन्स्टीट्यूट आफसाइंस बंगलौर—560-012
32. प्रो० एन० सी० निगम	निदेशक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हौजखास नई दिल्ली—110016
33. श्री एस० जी० पित्रोदा	प्रधानमंत्री के प्रौद्योगिकी मिशन संबंधी सलाहकार, संचार भवन नई दिल्ली—110001
34. कु० एल० एफ़० पुणावाला	उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, अल्फा लावल (भारत) लिमिटेड दापोडी पुणे—411012
35. डा० बी० डी० प्रधान	कार्यकारी निदेशक, सी-डॉट अकबर भवन, चाणक्यपुरी नई दिल्ली—110021
36. श्री ए० यू० रिझसिंघानी	प्रेसीडेंट, वालचन्दनगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वालचंदनगर—413114 पुणे

सदस्य का नाम	वर्तमान पता
37. श्री टी० आर० सतीश चंद्रन	231 "जागृथि" 18 क्रास, सदाशिवनगर, बंगलौर—560080
38. प्रो० एम० एम० शर्मा	निदेशक यू० डी० सी० टी०, बम्बई विश्वविद्यालय, मटूंगा, बम्बई—400019
39. श्री एस० के० शर्मा	एक्शन इन क्रियटिव अर्बन मैनेजमेंट एंड इनवायरनमेंट, 548, कैलाश टावर 3, इस्ट आफ़ कैलाश, नई दिल्ली—110065
40. श्री सुरेश कृष्ण	अध्यक्ष एव प्रबन्ध निदेशक, सुन्दरम फ़ास्टनर्स लि०, मद्रास
41. श्री रतन एन० टाटा	अध्यक्ष टाटा इंडस्ट्रीज लि० बम्बई हाऊस, 24, होमी मोदी स्ट्रीट, बम्बई—40001
42 डा० जी० त्यागराजन	निदेशक, केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, आड्यार, मद्रास—600020
सदस्य सचिव	
43. श्री वाई० एस० राजन, सलाहकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग एवं कार्यकारी निदेशक टाइफ़ैक	(पूर्णकालिक)

परिषद के विचारार्थ विषय वही रहेंगे ।

पुनर्गठित शासी परिषद की सदस्यता की अवधि 3 वर्ष की होगी ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये । आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति भारत सरकार के मंत्रालय/विभागों और अन्य सभी संबंधितों को भेजी जाए ।

सानुजित घोष,
संयुक्त सचिव

ग्रामीण विकास मंत्रालय

नई दिल्ली—110003, दिनांक 20 अगस्त 1993

सं० 19011/1/89-एल/आर० डी०—सही भूमि अभिलेखन केवल भूमि सुधार उपायों को लागू करने के लिये ही आवश्यक है बल्कि विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की आयोजना और कार्यान्वयन हेतु भी महत्वपूर्ण है। अद्यतन भूमि अभिलेखों से भूमि संबंधी विवादों में कमी आती है और ये सामाजिक सद्भाव रखने में भी सहायक होते हैं। अधिकतर यह देखने में आ रहा है कि सही भूमि अभिलेखों और इनके प्रबन्ध के लिये कुशल और महत्वाकांक्षी भूमि राजस्व प्रशासन के बिना विकास कार्य सन्तोषजनक ढंग से नहीं हो सकता है और यहां तक कि कानून और व्यवस्था को बनाए रखना भी कठिन हो जाता है।

2. तथापि, देश में भूमि अभिलेख अच्छी हालत में नहीं है। जब कि देश के कुछ भागों में कोई भूमि अभिलेख प्रणाली नहीं है, देश के अधिकांश भागों में भूमि अभिलेख अद्यतन नहीं है क्योंकि संशोधन सम्बन्धी सर्वेक्षण नहीं किए गए हैं और नामांतरण के जरिए अभिलेखों को समय-समय पर अद्यतन बनाने, नक्शों को ठीक करने और फसल गणना करने का कार्य भी आमतौर पर काफी मात्रा में बकाया पड़ा हुआ है। भूमि अभिलेखों को अद्यतन बनाने में अनुभव की गई प्रमुख कठिनाई यह है कि भूमि राजस्व प्रशासन का ढांचा स्वतंत्रता के बाद इसे सौंपे गए कार्यों को गति प्रदान नहीं कर सका है और संसाधनों के आबंटनों में आधारभूत ढांचा सुविधाओं की अनदेखी की गई है। भूमि राजस्व प्रशासन और भूमि अभिलेख प्रणाली का पूरे देश में गहन अध्ययन और जांच भी नहीं की गई है इसलिए प्रशासन के इस क्षेत्र की ओर तत्काल ध्यान देने और इसे पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है ताकि यह राष्ट्रीय विकास के एक प्रभावशाली तंत्र के रूप में कार्य कर सके और जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके।

3. भूमि अभिलेख प्रणाली और भूमि राजस्व प्रशासन को आधुनिकीकरण, किफायत, सामाजिक-दायित्व, कार्यकुशलता, सरल और शीघ्र न्याय प्रशासन तथा गरीब और कमजोर वर्गों के प्रति सद्भाव के सिद्धान्तों को ध्यान में रखकर पुनर्जीवित किया जाना है। इस कार्य को पूरा करने के उद्देश्य से सरकार भूमि राजस्व प्रशासन के पुनर्जीवीकरण से सम्बन्धित एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है। समिति के विचारार्थ मुद्दे निम्नलिखित होंगे :—

(क) राजस्व प्रशासन द्वारा किए जाने वाले कार्यों और उद्देश्य को परिभाषित करना और उन्हें प्राप्त करने के लिये ऐसे आधारों का सुझाव देना जिन पर राजस्व प्रशासन को पुनर्गठित किया जा सकता है।

(ख) उन समस्याओं का अध्ययन करना जो उत्तर पूर्वी राज्यों में भूमि अभिलेख प्रणाली की स्थापना के मार्ग में आड़े आ रही हैं और आदिवासी समुदायों की परम्परा और आकांक्षाओं तथा स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल कार्रवाई हेतु कार्यक्रमों की सिफारिश करना।

(ग) विभिन्न स्तरों पर पुनर्गठित राजस्व प्रशासन के लिये बुनियादी आधारभूत ढांचा सम्बन्धी सुविधाओं

और आधुनिकीकरण के क्षेत्रों का सुझाव देना तथा नई प्रौद्योगिकी को शामिल करने की सलाह देना ताकि राजस्व प्रशासन और भूमि अभिलेख प्रणाली के विभिन्न कार्यों में लागत और होने वाली देरी को कम किया जा सके।

(घ) प्रबन्ध की नई प्रणाली विकसित करने के लिये आवश्यक उपायों की सिफ़ारिश करना जिसमें नई प्रौद्योगिकी को खपाया जा सके और इसके अनुरूप काम करने का नया ढंग अपनाया जा सके और गरीबों और कमजोर लोगों के प्रति बेहतर रवैया अपनाया जा सके।

(ङ) मुकदमेबाजी को कम करने और भूमि लेन देन में सुरक्षा और स्थायित्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से "भूमि के स्वामित्व की गारन्टी" देने की राज्य की प्रणाली को शुरू करने की वांछनीयता और सम्भाव्यता की जांच करना।

4. समिति एक प्रश्नावली तैयार करेगी और उसे देश के विभिन्न भागों में चल रही प्रणालियों के स्वरूपों के बारे में सूचना एकत्र करने और सुधार तथा आधुनिकीकरण के लिये सुझाव आमंत्रित करने के लिये राज्यों को भेजेगी। समिति राज्यों का दौरा भी करेगी और राज्यों से प्राप्त सूचना के आधार पर विचार-विमर्श करेगी ताकि सिफारिशों को अंतिम रूप दिया जा सके।

5. समिति भूमि राजस्व प्रशासन और भूमि अभिलेख प्रबन्ध में विशेष रूप से उपरोक्त मामलों के सम्बन्ध में किए जाने वाले सुधारों के लिये राज्य सरकार और संघ शासित प्रशासन से विस्तार से विचार-विमर्श करके कार्य-कार्यक्रम के बारे में सिफारिशें करेगी।

6. भूमि राजस्व प्रशासन के पुनर्जीवीकरण सम्बन्धी समिति की संरचना निम्न प्रकार होगी :—

1. श्री पी० एस० अप्पू, — अध्यक्ष
पूर्व-मुख्य सचिव,
बिहार सरकार।

2. श्री एस० वैंकट स्वामी, — सदस्य
अध्यक्ष,
राजस्व बोर्ड, उत्तर प्रदेश सरकार,
लखनऊ।

3. श्री वी० आनन्दाराव, — सदस्य
आयुक्त,
सर्वेक्षण, बन्दोबस्त और भूमि रिकार्ड
आन्ध्र प्रदेश सरकार,
हैदराबाद (ए० पी०)।

4. श्री एस० आर० कोकोडकर, — सदस्य
अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं
प्रभारी (राजस्व),
महाराष्ट्र सरकार,
महाराष्ट्र, बम्बई।

5. प्रो० एस० के० रे, — सदस्य
आर्थिक विकास संस्थान,
यूनिवर्सिटी एन्कलेव,
दिल्ली—110007।

6. ब्रिगे० के० जी० बहल, — सदस्य
उप-महा सर्वेक्षक,
भारत के महा सर्वेक्षक का कार्यालय,
देहरादून (उ० प्र०)।

7. श्री शिवराज सिंह, — सदस्य-सचिव
संयुक्त सचिव (एल० आर०)
ग्रामीण विकास मंत्रालय,
नई दिल्ली।

7. अध्यक्ष को समिति के प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिये सरकारी/गैर-सरकारी सदस्य को सहयोजित करने का अधिकार होगा।

8. समिति, इसके गठन से 6 महीने के भीतर अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

9. सरकारी सदस्य समिति की बैठकों में भाग लेने अथवा समिति के दौरों और यात्राओं के लिये अपने-अपने विभागों से यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता लेंगे। गैर-सरकारी सदस्यों को भारत सरकार के नियमों के अनुसार इस मंत्रालय द्वारा यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता दिया जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र के भाग-I खण्ड-1 में प्रकाशित किया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों और अन्य सभी सम्बन्धितों को भेजी जाए।

के० एस० डागर,
उप सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(संस्कृति विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 25 मार्च 1993

संकल्प

सं० फा०—29—12/92—सी० एच०—1—राष्ट्रीय संग्रहालय के कला इतिहास, संरक्षण और संग्रहालय विज्ञान संस्थान, दिल्ली की सोसाइटी को नियम 4 के अनुसरण में, राष्ट्रपति राष्ट्रीय संग्राहालय के कला इतिहास, संरक्षण और संग्रहालय विज्ञान संस्थान की सोसाइटी की, इस सकल्प के जारी होने की तारीख से अथवा सोसाइटी का पुनर्गठन होने तक, जो भी पहले हो, तीन वर्ष के लिए पुनर्गठित करते हैं।

राष्ट्रीय संग्रहालय के कला इतिहास, संरक्षण और संग्रहालय विज्ञान संस्थान की सोसाइटी का गठन :

1. शिक्षा एवं संस्कृति उपमंत्री — अध्यक्ष

2. डा० आर० सी० शर्मा, महानिदेशक, राष्ट्रीय संग्रहालय — उपाध्यक्ष (पदेन)

3. डा० एम० एन० देशपांडे, पूर्व महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण । — सदस्य

4. डा० कल्याण कुमार चक्रवर्ती, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल । — सदस्य

5. डा० बी० एन० गोस्वामी, चंडीगढ़ । — सदस्य

6. डा० ज्योतीन्द्र जैन, संग्रहालय विज्ञान एवं आदिम कला, नई दिल्ली । — सदस्य

7. श्रीमती गीता कपूर, दिल्ली । — सदस्य

8. डा० मुकुंद लाथ, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर । — सदस्य

9. डा० इक्तिदार आलम खान, अलीगढ़ । — सदस्य

10. प्रो० ए० के० सरन, लखनऊ । — सदस्य

11. प्रो० कृष्णा नाथ, वाराणसी । — सदस्य

12. डा० ओ० पी० अग्रवाल, लखनऊ । — सदस्य

13. संयुक्त सचिव, संस्कृति विभाग, जो सोसाइटी से संबंधित मामलों को देख रहे हैं । — पदेन सदस्य

14. संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार, संस्कृति विभाग । — पदेन सदस्य

15. सचिव, शिक्षा विभाग, भारत सरकार — पदेन सदस्य

16. सचिव, व्यय विभाग — पदेन सदस्य

17. उपाध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग । — पदेन सदस्य

18. महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण । — पदेन सदस्य

19. निदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण । — पदेन सदस्य

20. महानिदेशक, राष्ट्रीय अभिलेखागार । — पदेन सदस्य

21. निदेशक, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय । — पदेन सदस्य

22. निदेशक, राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधान प्रयोगशाला । — पदेन सदस्य

23. डा० (श्रीमती) ललिता नेहरू, (कला इतिहास की प्रोफेसर), राष्ट्रीय संग्रहालय का कला इतिहास, संरक्षण और संग्रहालय विज्ञान संस्थान । — सदस्य

24. डा० आई० के० भटनागर, प्रोफेसर (कलाकृतियों का संरक्षण और पुनरुद्धार), राष्ट्रीय संग्रहालय का कला इतिहास, संरक्षण और संग्रहालय विज्ञान संस्थान । — सदस्य

25. रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय संग्रहालय का कला इतिहास, संरक्षण और संग्रहालय विज्ञान संस्थान । — गैर-सदस्य सचिव

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति संस्कृति विभाग के सभी कार्यालयों, अनुभागों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जन साधारण की सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

अशोक वाजपेयी
संयुक्त सचिव,

DEPARTMENT OF OCEAN DEVELOPMENT

New Delhi-110 003, the 1st September 1993

RESOLUTION

No. DOD/16-TE/16/92.—The Government of India has decided to set up the National Institute of Ocean Technology, hereinafter to be referred to as the NIOT, as an autonomous, Registered Government of India Society for undertaking projects relating to technology development in the Ocean sector. The NIOT will be under the administrative control of the Department of Ocean Development (DOD) and will provide necessary technological inputs in such areas of ocean development as the DOD may decide. The NIOT would also accept consultancy services from industry, both in public and private sector and generate internal resources. The NIOT will have its Registered Office at the Indian Institute of Technology, Madras-600 036.

2. The main objectives of the Institute are :

(a) to apply the knowledge and experience gained through research in ocean sciences to develop technical knowhow and capabilities in specific fields of ocean technology such as seabed mining, ocean energy, etc.

(a) to assist the ocean scientists in development of suitable ocean engineering and instrumentation systems such as data buoys, observation platforms, underwater vehicles, etc.;

(c) to develop necessary technologies for the fast emerging concept of Coastal Zone Management for comprehensive and substainable development of the coastal belt and Islands of the country; and

(d) any other objectives relating to Ocean Technology as may be set by the DOD.

3. The administration and management of the Society shall be vested in the Governing Council. The composition of the Governing Council shall be as follows, namely :

Chairman

1. Secretary, Department of Ocean Development, Mahasagar Bhawan, Block-12, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi-110 003.

Co-Chairman

2. Director, Indian Institute of Technology, Madras-600 036.

Members

3. Prof. V. S. Raju, Professor, Ocean Engineering Centre and Dean, IC&SR, Indian Instiute of Technology, Madras-600 036.

4. Dr. S. K. Joshi, Director General, Council of Scientific & Industrial Research, Rafi Marg, New Delhi-110 001.

5. Shri P. K. Rudra, Managing Director, Engineers India Ltd., 1, Bhikaji Cama Place, New Delhi.

6. Dr. P. P. Vaidyaraman, Director, Central Water & Power Research Station, P.O. Khadakvasla Research Station, Pune-410 024.

Member-Secretary

7. Prof. M. Ravindran, Professor, Ocean Engineering Centre, Indian Institute of Technology, Madras-600 036.

4. The Member-Secretary of the Society shall be the Member-Secretary of Council, ex-officio.

5. The Governing Council shall be assisted by a Technical Advisory Committee for the Management of the technical affairs of the Society. This Committee will be constituted in due course.

6. The financial requirements of the Institute will be borne by the institute as a part of its Plan Programme. However, the Institute is also empowered to obtain funds for its activities from other Governmental and Non-Governmental sources.

7. The Indian Institute of Technology, Madras, will provide facilities to accommodate the NIOT in the initial stages and also make available other necessary infrastructure and equipment for the programmes of NIOT. A detailed Memorandum of Understanding between DOD and NIOT will be issued in due course.

8. Hindi version is attached.

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India. Ordered also that a copy of the Resolution be communicated to the Ministries/Departments of Government of India and all others concerned.

J. V. R. PRASADA RAO, Jt. Secy.

MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY)

New Delhi, the 24th September 1993

CORRIGENDUM

Reference : Resolution No. A-11019/2/82-Admn-I(A) dated 1*st September*, 1993

On page No. 3, Sl. No. 40 :
For
Sundaram Fastners Ltd.
Read
Sundram Fasteners Ltd.

S. GHOSE Jt. Secy.

New Delhi, 1st September 1993

RESOLUTION

No. F. A.-11019/2/92-Admn.I(A).—The Government of India have decided to re-constitute, with immediate effect, the "Technology Information, Forecasting and Assessment Council" (TIFAC) with the following members :

Chairman

1. Dr. A. P. J. Abdul Kalam (Part-time)
(Presently Scientific Adviser to Raksha Mantri and Secretary, Deptt. of Defence Research & Development)

Ex-officio Members

2. Secretary, Department of Science & Technology
3. Director General, Council of Scientific & Industrial Research
4. Secretary, Department of Atomic Energy
5. Secretary, Department of Space

6. Secretary, Department of Electronics
7. Secretary, Department of Defence Research & Development
8. Secretary, Department of Industrial Development
9. Secretary, Department of Commerce
10. Secretary, Planning Commission.
11. Secretary, Department of Expenditure
12. President, Cofederation of Indian Industry (CII), New Delhi
13. President, Associated Chamber of Commerce (ASSOCHAM), New Delhi.
14. President, Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry of India (FICCI), New Delhi.
15. Chairman, Industrial Development Bank of India, Bombay
16. Chairman, Industrial Credit and Investment Corporation of India, Bombay
17. Chairman, Industrial Finance Corporation of India, New Delhi
18. Chairman, National Thermal Power Corporation, New Delhi
19. Chairman, Coal India Ltd., Calcutta
20. Chairman, Oil and Natural Gas Commission, Dehradun.
21. Managing Director, National Research Development Corporation, New Delhi.
22. Managing Director, Bio-Tech Consortium India Ltd., New Delhi .

Members by Name & Present Address

23. Prof. M. Anandakrishnan—Vice-Chancellor, Anna University, Guindy, Madras-600025.
24. Shri Rahul Bajaj—Chairman & Managing Director, Bajaj Auto Ltd., Akurdi, Pune-411035.
25. Shri C.K. Birla—Vice Chairman, Hindustan Motors Ltd., Prakash Deep Building, 7, Tolstoy Marg, New Delhi-110001.
26. Dr. B. Bowonder—Director, Centre for Energy and Environment Technology, Administrative Staff College of India, Bella Vista, Hyderabad-500049.
27. Dr. S. Ganguly.—Executive Vice-Chairman and Managing Director, ACC Ltd., Cement House, 121, Maharshi Karve Road, Bombay-400020.
28. Prof. (Ms) Kuntala Jayaraman—Director, Centre for Biotechnology, Anna University, Guindy, Madras-600025.
29. Shri Lovraj Kumar—Chairman, Society for Wasteland Development, 1, Copernicus Marg, Sriram Bhartiya Kala Kendra Building, 2nd Floor, Mandi House, New Delhi-110001.
30. Dr. R. A. Mashelkar—Director, National Chemical Laboratory, Pune-411008.
31. Prof. R. Narasimha INSA Golden Jubilee Research Professor, Deptt. of Aerospace Engineering, Institute of Science, Bangalore-560012.
32. Prof. N. C. Nigam—Director, Indian Instiute of Technology, Hauz Khas, New Delhi-110016.
33. Shri S. G. Pitroda—Adviser to PM on Technology Missions, Sanchar Bhavan, New Delhi-110001.
34. Ms. L. F. Poonawalla—Vice-Chairperson and Managing Director, Alfa Laval (India) Ltd., Dapodi, Pune-411012.
35. Dr. B. D. Pradahan.—Executive Director, C-DOT, Akbar Bhavan, Chanakyapuri, New Delhi-110021.
36. Shri A. U. Rijshinghani—President, Walchandnagar Industries Ltd., Walchand Nagar, PIN : 413114, Pune.
37. Shri T. R. Satish Chandran—231, "Jagruthi", 18th Cross, Sadashivanagar, Bangalore-560080.
38. Prof. M. M. Sharma—Director, UDCT, University of Bombay, Matunga, Bombay-400019.
39. Shri S. K. Sharma—Action in Creative Urban Management and Environment (ACUMEN), 548, Kailash Tower 3rd, East of Kailash, New Delhi-110065.
40. Shri Suresh Krishna—Chairman & Managing Director, Sundaram Fastners Ltd., Madras.
41. Shri Ratan N. Tata—Chairman, Tata Industries Ltd., Bombay House, 24, Homi Mody Street, Bombay-400001.
42. Dr. G. Thyagarajan—Director, Central Leather Research Instt., Adyar, Madras-600020.

Member-Secretary

43. Shri Y. S. Rajan—Adviser, DST and Executive Director, TIFAC—(Full-time).

The terms of reference of the Council will remain the same.

The term of membership of the reconstituted Governing Council will be 3 years.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in Gazette of India.

ORDERED also that a copy of the Resolution be communicated to the Ministries/Departments of the Government of India and all other concerned.

S. GHOSE, Jt. Secy.

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

New Delhi,-110003, the 20th August 1993

RESOLUTION

No. 19011/1/89-LRD.—Accurate land records are vital not only for enforcement of land reform measures but also for development planning and implementation of various rural development programmes. Updated land records reduce land disputes and are conducive to creation of social harmony. It is becoming increasingly evident that without proper land records and efficient and motivated land revenue administration to manage it, development work cannot proceed satisfactorily and even the maintenance of law and order becomes difficult.

2. Land records in the country however are not in a good shape. While some parts of the country are without any land record system, in large parts of the country land records are not up-to-date as revisional surveys have not been carried out and periodical updating through mutations, correction of maps and crop enumeration is also generally in huge arrears. The major difficulty experienced in updating land records is that the structure of land revenue administration has not kept pace with the tasks assigned to it after independence and infrastructure facilities have suffered neglect in allocation of resources. The Land Revenue Administration and Land Records System have also not been subjected to an in-depth study and scrutiny in the country as a whole. There is therefore an urgent need to look at this field of administration and to revamp it so that it functions as an effective instrument of National development and for fulfilling people's aspirations.

3. The revitalisation of land records system and land revenue administration has to be built around principles of modernisation, cost effectiveness, social accountability, efficiency, simple and quick administration of justice and an orientation in favour of poor and weak. With a view to accomplish this task, Government have decided to set up a Committee on Revitalisation of Land Revenue Administration. The terms of reference of the Committee shall be as follows :—

(a) To define objectives and tasks to be performed by revenue administration and to suggest lines on which revenue administration should be restructured to achieve them.

(b) To study problems that have stood in the way of the establishment of a land records system in the North-Eastern States and to recommend a programmes of action consistent with tradition, aspirations of tribal communities and local conditions.

(c) To suggest basic infrastructure facilities for restructured revenue administration at various levels and areas of moderniation and induction of new technology to reduce cost and delays in various operations of revenue administration and land records system.

(d) To recommend measures necessary for evolving a new system of management which can absorb new technology and infuse a new work culture consistent with it, and with orientation of attitude in favour of the poor and the weak.

(e) To examine the desirability and feasibility of introducing the system of State 'Guaranteeing Title to Land' with a view to reducing litigation and ensuring security and stability in land transactions.

4. The Committee will draw up a questionnaire and send it to the States to elicit information on the kinds of systems that obtain in the various parts of the country, inviting suggestions for reform and modernization. The Committee may also visit the States and hold consultations based on the information received from the States in order to finalise the recommendations.

5. The Committee would make recommendations on the programme of action for improvements to be carried of in land revenue administration and land records management with particular reference to the above matters in detailed consultation with State Government/Union Territory Administration.

6. The composition of the Committee on Revitalisation of Land Revenue Administration will be as follows :—

Chairman

1. Shri P. S. Appu,
former Chief Secretary,
Govt. of Bihar.

Members

2. Shri S. Venkataramani,
Chairman,
Board of Revenue,
Govt. of Uttra Pradesh,
Lucknow.

3. Shri V. Anandarau,
Commissioner, Survey,
Settlement & Land Records,
Govt. of Andhra Pradesh,
Hyderabad (A. P.).

4. Shri S. R. Kakodkar,
Addl. Chief Secretary &
Incharge (Revenue),
Govt. of Maharashtra,
Mantralaya, Bombay.

5. Prof. S. K. Ray,
Institute of Economic Growth,
University Enclave,
Delhi-110 007.

6. Brig. K. G. Behl,
Dy. Surveyor General,
Office of Surveyor General of India,
Dehradun (U. P.).

Member-Secretary

7. Shri Shivraj Singh,
Joint Secretary (LR),
Ministry of Rural Development,
New Delhi.

7. The Chairman shall have powers to co-opt any other official/non-official Member for effective functioning of the Committee.

8. The Committee will submit its final report within six months from the date of its Constitution.

9. For attending the meetings of, or for tours and visits by the Committee, the official members will draw TA/DA from their respective departments. The non-official members will be paid TA/DA as per Government of India Rules by this Ministry.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India, Part I, Section 1.

ORDERED also that a copy of the Resolution be communicated to all Ministries/Departments of the Govt. of India, State Governments/Administrations of Union Territories and all other concerned.

K. S. DAGAR, Dy. Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF CULTURE)

New Delhi, the 25th August 1993

RESOLUTION

No. F. 29-12/92-CH.I.—In pursuance of the Rules 4 of the Society of National Museum Institute of History of Art, Conservation and Museology, Delhi, the President is pleased to reconstitute the Society of National Museum Institute of History of Art, Conservation and Museology for a period of three years from the date of issue of the resolution or till the society is reconstituted whichever is earlier.

Composition of the society of NMIHACM

Chairperson

1. Deputy Ministeer for Education and Culture.
Vice-Chairman (Ex-officio)

2. Dr. R. C. Sharma,
Director General, National Museum.

Members

3. Dr. M. N. Deshpande,
Ex-Director General,
Archaeological Survey of India.

4. Dr. Kalyan Kumar Chakravarty,
Govt. of Madhya Pradesh,
Bhopal.

5. Dr. B. N. Goswami,
Chandigarh.

6. Dr. Jyotindra Jain,
Museology and Primitive Art,
New Delhi.

7. Smt. Geeta Kapur,
Delhi.

8. Dr. Mukund Lath,
Rajasthan University,
Jaipur.

9. Dr. Iftikhar Alam Khan,
Aligarh.

10. Prof. A. K. Saran,
Lucknow.

11. Prof. Krishna Nath,
Varanasi.

12. Dr. O. P. Aggarwal,
Lucknow.

Ex-offico Members

13. Joint Secretary, Department of Culture dealing with matter relating to the Society.

14. Joint Secretary & Financial Adviser, Department of Culture.

15. Secretary,
Department of Education,
Government of India.

16. Secretary,
Department of Expenditure.

17. Vice-Chairman,
University Grants Commission.

18. Director General,
Archaelogical Survey of India.

19. Director,
Anthropological Survey of India.

20. Director General,
National Archives of India.

21. Director,
National Gallery of Modren Art.

22. Director,
National Research Laboratory for Conservation of Cultural Property.

Members

23. Dr. (Mrs.) Lolita Nehru,
(Prof. History of Art),
National Museum Institute of History of Art, Conservation and Museology.

24. Dr. I. K. Bhatnagar,
(Prof. Conservation and Restoration of works of Art),
National Museum Institute of History of Art, Conservation and Museology,
New Delhi.

Non-Member Secretary

25. Registrar,
National Museum Institute of History, of Art, Conservation and Museology.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all the offices, Sections of the Department of Culture.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

ASHOK VAJPEYI, Jt. Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1993
Printed by the Manager, Govt. of India Press, Faridabad and Published by the Controller of Publications, Delhi, 1993